**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3844**

**02 अप्रैल, 2018 को उत्तर के लिए**

**मिलिटेरी नर्सिंग सर्विस के अधिकारियों के लिए भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का बहाल किया जाना**

**3844.श्री अनुभव मोहंती:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मिलिटेरी नर्सिंग सर्विस (एमएनएस) के पात्र अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी, उसके साथ जुड़ी सभी सुविधाओं सहित प्रदान की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिलिटेरी नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर प्रदान की गई भूतपूर्व सैनिक श्रेणी को वापस ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब वापस लिया गया तथा इस आदेश के ब्यौरे सहित इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय मिलिटेरी नर्सिंग सेवा के अधिकारियों के लिए भूतपूर्व सैनिक श्रेणी तत्काल प्रभाव से बहाल करने पर विचार कर रहा है?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष भामरे)**

(क) से (ग): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 15.12.1979 की अधिसूचना के अनुसार भूतपूर्व सैनिक वह व्यक्ति है जिसने पूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेनाओं सहित संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक में सेवा की है । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.10.1986 की अधिसूचना के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की संशोधित परिभाषा का अर्थ, वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायुसेना में किसी भी रैंक चाहे वह युद्धक अथवा गैर-युद्धक हो, में सेवा की है । सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) को नियमित सेना की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है ।

(घ): मामला मंत्रालय में विचाराधीन है ।

**\*\*\***